राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 170 सितम्बर 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश जिसमें एक नाबालिग पीड़िता का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पकड़े गये आरोपी को फाँसी पर लटका देना चाहिये क्योंकि इस प्रकार के मामले तत्काल प्रभाव से दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, अपने आप में एक बहुत ही सूझबूझ से लिया गया निर्णय है क्योंकि कई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे कुकर्मी को कम दण्ड दे रही थीं जिसने इस प्रकार के घृणित और नृशंसता पूर्ण अपराध को अंजाम दिया।

नाबालिग पीड़िता को एक विशेष श्रेणी का मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में पहली बार एक विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जिसमें बलात्कार के बाद हत्या कर देने का आरोप है जिसके लिए मृत्यु दण्ड आवश्यक होगा।

आदेश पारित करते हुए शीर्ष अदालत ने राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश को और अपराधियों के विरुद्ध गुस्से को भी ध्यान में रखा जो लोग इस प्रकार की बर्बरता पूर्ण और पाश्विकता पूर्ण अपराध को अंजाम दे रहे हैं। माननीय शीर्ष अदालत ने माना कि नाबालिग के साथ नृशंसता पूर्ण किया गया बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या करना एक अपराध है जोकि सामूहिक रूप से समाज के अन्तःकरण को ठेस पहुँचाती है और लोगों के दिमाग में अत्यन्त घृणित प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और इसलिए इसे दुर्लभतम से दुर्लभ अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह टीका टिप्पणी उस समय की जब एक 19 वर्षीय युवक ने दिनांक

चर्चा में — नाबालिग के साथ बलात्कार किए जाने पर दुष्कर्मी को मृत्युदंड

23 दिसम्बर, 2012 को एक पाँच वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया, बाद में पीड़िता की मौत हो गई। उसे एक बोरे में डालकर रेलगाड़ी में फेंक दिया। आरोपी को दिसम्बर 2004 में फाँसी की सजा सुनाई गई थी। फिर भी सात महीने के बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसके दण्ड को आजीवन कारावास में तबदील कर दिया। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विश्वास दिलाया कि इस प्रकार के अपराध निष्कृष्टम से निष्कृष्ट श्रेणी में आते हैं। उसके लिये फाँसी की सजा ही उपयुक्त है, और इसने ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय को उस पर नहीं थोपा क्योंकि नौ वर्ष बीत जाने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। लेकिन भविष्य के लिये अदालत ने कहा कि वे मामले जिनमें जीवन पर्यन्त सजा को मृत्यु दण्ड तक बढ़ाने के लिये पूछा जाये तो इस प्रकार के मामले प्राथमिकता आधार पर निर्णीत किये जायें।

इस संदर्भ में प्रख्यात न्यायधीश लॉर्ड डेनिंग्स उन्होंने जब यह प्रश्न किय कि क्या मृत्यु दण्ड एक पर्याप्त कठोरतम निर्णय हत्या के विरुद्ध है, कहा कि दण्ड के उद्देश्यों पर विचार करना एक प्रकार से त्रुटि है कि दिया गया दण्ड कठोरतम है या सुधारात्मक है या अपराध को रोकने या और कुछ भी नहीं। सत्यता यह है कि कुछ अपराध इतने जघन्य श्रेणी के हैं जिसमें समाज पर्याप्त दण्ड देने पर जोर देता है क्योंकि गलती करने वाला इसी योगय है या बिना अपेक्षा किये यह जघन्य अपराध हैं या नहीं अन्ततः स्वीकार करते हुए समाज न्यायपालिका से शीघ्र ही दण्ड देने की मांग करता है और न्यायालय कानूनी पहलुओं के भीतर बाध्य है।

महिला आरक्षण बिल पर चर्चा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में महिला आरक्षण बिल पर एक संगोष्ठी आयोजित की। आयोग ने राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला सक्रिय कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। सभी ने एक सुर से चिंता व्यक्त की कि लोक सभा में अभी तक महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल संसद के वर्तमान सत्र में सदन पटल पर नहीं लाया गया जबकि बावजूद इसके यह विधिवत् सूचीबद्ध था।

श्रीमती ममता शर्मा संगोष्ठी पर सम्बोधन करते हुए। आयोग के अन्य सदस्यगण दाहिनी ओर बैठी हुई हैं।

महिलाओं ने सोचा कि मार्च 2010 में राज्य सभा में पारित किया गया बिल हूबहू लोक सभा में भी सभी अटकलों को पार कर देगा। संगोष्ठी में विचार-विमर्श के पश्चात एक इस आशय का संकल्प पारित किया गया कि पंचायत और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिये आरक्षण, लाखों महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार खोलेगा। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी अनुभव के आधार पर उनके लिये राजनैतिक माहौल बनेगा। फिर भी पैतृक दबाव का विरोध अभी तक प्रचलन में है और संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न होने देने के लिये कई प्रकार की दिशा बदलने की रणनीति व दुलमुल नीति अपनाई जा रही है। सम्मेलन में आई हुई महिला सहभागियों ने आग्रह किया कि महिला आरक्षण बिल जैसे राज्य सभा में पारित किया गया अब बिना किसी विलम्ब के इसे लोक सभा में भी पारित किया जाये।

● फरीदाबाद पुलिस द्वारा 'महिलाओं के लिये सुरक्षित शहर बनाना' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती ममता शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पहले अंग्रेजी बहुतायत से प्रयोग में लाई जा रही थी लेकिन अब वर्तमान समय में ग्रामीण स्तर तक जागरूकता हेतु हिन्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस, प्रेस और राजनीतिज्ञों को महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिये एकजुट होना चाहिए तथा पुलिस पर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिये क्योंकि कानून स्वयं इसे संज्ञान में लेता है।

अपने भाषण के दौरान फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त श्री एच.एस.ए. चावला ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के कारण उनकी बीस वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने पहली बार महिलाओं की सुरक्षा पर सोचने की आवश्यकता को महसुस किया। पुनश्चः समाज भी इस संबंध में अपनी मानसिकता जरुर बदले। उन्होंने आश्वासन दिया कि फरीदाबाद पुलिस न केवल हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये बल्कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रकार के ठोस कदम उठायेगी।

आयुक्त अध्यक्ष महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने कोलकाता में एक सम्मेलन जिसका विषय था 'महिलाएं कोई वस्तु नहीं हैं, वे इंसान हैं' में भाग लिया। सभी वक्ताओं ने यह सहमति दी कि भारत वर्ष में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने और सुरक्षित करने के पर्याप्त कानून है परन्तु महिलाओं से संबंधित कानून और मामले में जागरूकता फैलाने की सख्त आवश्यकता है। लोग महिलाओं के साथ की जा रही अभद्रता के परिणामों को जाने और पुलिस तथा हिंसक न्याय व्यवस्था को भी संकट से जूझ रही महिलाओं के प्रति भी संवेदनशील होकर उनकी सहायता करनी चाहिये। वक्ताओं ने आगे कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में जाँच आदि को एक समय-सीमा के अन्दर अवश्य ही पूरा कर देना चाहिए।

● माननीय अध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा लेह में आयोजित 'लद्दाख क्षेत्र की अल्पसंख्यक महिलाओं की समस्याएं' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में लगभग 250 लद्दाख की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदया ने कहा कि उन्होंने वहां के सामाजिक वातावरण और सामंजस्य पूर्व परिचारों को सराहा जोकि अभी तक लद्दाख में कायम हैं तथा पूर्ण रूप से घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव तथा दहेज प्रथा का अभाव है। महिला सहभागियों द्वारा दूसरे प्रकार के उठाये गये मामले जिसमें लद्दाख हिल एरिया विकास परिषद में महिलाओं के लिये आरक्षण, लद्दाख में चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं के अभाव, कन्या छात्राओं के लिये उचित छात्रावास का अभाव तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिये विशेष कोचिंग केन्द्र की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

● माननीय अध्यक्ष महोदया ने मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का दौरा किया जिसमें दो समुदायों के बीच झगड़ा और हिंसा के कारण 50 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई तथा 40,000 लोगों को गाँव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सभी साम्प्रदायिक दंगों में सबसे अधिक महिला ही प्रभावित होती है जो उनकी जाति और धर्म का कारण बनती है। उन्होंने राज्य सरकार से महिलाओं की सुरक्षा मुहैया कराने और सभी आवश्यक वस्तुएं मुहैया करने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वह गर्भवती

अध्यक्ष महोदया एक महिला को सांत्वना देते हुए। टीम की अन्य सदस्य श्रमीना शफीक (बाएं) और श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी (दाएं) बैठी हुई हैं।

महिलाओं ओर नई मांओं को दूध और घी उपलब्ध करायें। वह और उनके दल ने महिलाओं के दुख-दर्द को सुना और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये राहत शिविरों का भी दौरा किया

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने हैदराबाद में एक क्षेत्रीय सम्मेलन 'मुस्लिम महिलाएं: चुनौतियां और समाधान' विषय पर आयोजित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष महोदया ने कहा कि केवल शिक्षा सुविधा देने और अल्पसंख्यक समुदाय के लिये नीतियां बनाने से ही उनमें कोई भी बदलाव नहीं आयेगा। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की पहली आवश्यकता है तथा उनमें धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना जरुरी है की भी आवश्यकता है उनके सशक्तिकरण, उन्नति और विकास की आवश्यकता है। परित्याग की गई महिलाओं के पुनर्वास करने की आवश्यकता है और पुरुष अपनी पत्नियों और पुत्रियों को अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करें ताकि वे यह महसुस करें कि वह भी एक विकसित समुदाय का हिस्सा है।

(बाएं से दाएं) अध्यक्ष आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, डॉ. त्रिपुराना, श्री ख्वाजा शाहिद, पी.जी.सी. मनु, श्रमीना शफीक, श्री खालिक-उर-रहमान और अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रमीना शफीक ने कहा 'मुस्लिम महिलाएं, भारतीय सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण की दृष्टि से लिंग, नागरिकता और समुदाय के बीच पराधीन बन कर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम महिलाएं हमेशा से ही हिंसा और साम्प्रदायिक दंगों की शिकार रही है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक अत्यंत पक्षपात पूर्ण रवैया है जिसे पहचान करना चाहिए तथा जिससे एक प्रभावी समाधान की तरफ बढ़त हासिल हो सकें।

सदस्यों के दौरे

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर लोगों को सम्बोधित करते हुए।

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आई.पी.ए.एस. द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सलाह विषय "भारत में कानूनी गर्भपात के चालीस वर्ष से आगे महिला स्वास्थ्य अधिकारों को समर्पित' पर संभाषण दिया। उन्होंने सुरक्षित गर्भपात उपलब्धता आधार के फैलाव पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हमारा देश भारत, दूसरे देशों की भांति, एम.टी.पी.ए. अधिनियम 1972 में संशोधन के लिये एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा था और इस प्रकार से चिकित्सकों, नर्सों, गैर-सरकारी संगठन, राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों के बीच संवाद की महती आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान कानून चिकित्सकों तक ही केन्द्रित था। महिला के जीवन को बचाने के लिये कानूनी गर्भपात कराना महिला का अधिकार था और पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम को सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है ताकि लिंग निर्धारण विकल्प को रोका जा सके।

डॉ. चारु वलीखन्ना स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में

❖ सदस्या चारु वलीखन्ना, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, नीमच, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 'वाल्मिकी जनजागृति सम्मेलन' कार्यक्रम में विशेष सम्मानित अतिथि थी। इस अवसर पर सदस्या ने कहा कि वाल्मिकी सामुदायिक केन्द्र के स्थापित हो जाने से यह समुदाय के कल्याण, विकास और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इस अवसर पर पुस्तक 'हर काम में है सम्मान' का विमोचन किया गया जिसमें महिला सफाई कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है। ● डा. वलीखन्ना ने नाथद्वारा, राजस्थान में छात्राओं से मिल कर प्रभावित हुई और कहा कि लड़कियों के लिये एन.सी.सी. प्रशिक्षण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिये बहुत ही आवश्यक है। ● सदस्या टास्क फोर्स फॉर वूमेन और वाइल्ड डेवलपमेंट पी.एच.डी. परिवार कल्याण संस्थापन, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम' के समापन समारोह में विशेष सम्मानित अतिथि थी। उन्होंने कहा कि स्वयं आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण से लड़कियों में एक आत्मविश्वास बनेगा और किसी भी शारीरिक हमले के विरुद्ध कार्य करेगा। ● सदस्या, 'भागीदारी जन सहयोग समिति' नई दिल्ली द्वारा आयोजित संगोष्ठी जिसका विषय था 'महिलाओं और लड़कियों पर ज्वलंत मामले' में सम्मानित अतिथि थी।

हेमलता खेरिया जकेड़ा गांव में महिलाओं के बीच

❖ सदस्या हेमलता खेरिया ने सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता मानसी प्रधान के साथ मिलकर ओडिसा के नवागढ़ जिले जकेड़ा गाँव का दौरा किया। इस क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से गरीब, अशिक्षित और आदिवासी लोग रहते हैं। उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुविधा महिलाओं के लिये उपलब्ध नहीं

थी केवल एक अप्रशिक्षित 'आशा' कार्यकर्ता के। महिलाओं ने शिकायत की कि रात्रि के समय जननी सुरक्षा एक्सप्रेस नहीं आती है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में बच्चे जन्म देने में काफी परेशानी हो रही है। ● सदस्या ने मानसी प्रधान के साथ नयागढ़ सेवाश्रम एससी/एसटी रिहायशी विद्यालय का दौरा किया। जहां पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लड़कों के लिये कोई भी बिस्तर नहीं था और कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

❖ आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने 'सिद्धिविनायक संस्थान, हिंगन घाट, वर्धा में आयोजित 'महिला/युवा स्व-रोजगार' विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें आस-पास के 8000 से भी अधिक लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। ● सदस्या ने नागपुर जेल का भी दौरा किया वहां उन्होंने जेल प्राधिकारियों से वहां पर रह रही सहवासियों और महिला कर्मियों की सफाई समस्याओं, आरोग्य प्रबंध और उनके स्वस्थ वृत के संबंध में विस्तृत चर्चा की। ● सुश्री शमीना शफीक ने हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आयोजित 'आदिवासी लोगों की समस्याओं के संबंध में एक सेमिनार में भाग लिया। वह वर्धा में स्थित सेवाग्राम आश्रम और पौनार आश्रम भी गई। ● सदस्या शमीना शफीक एम.आई.टी. पुणे द्वारा आयोजित 'बढ़ते हुए उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों, समस्याओं और समाधान के उल्लंघन' विषय पर एक विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि थी।

सदस्या शमीना शफीक पुणे में विद्यार्थियों को सम्बोधित करती हुई

महत्वपूर्ण निर्णय

❖ केरल उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि यदि कोई हिन्दू महिला की बिना वसीयत किये मृत्यु हो जाती है और उसके पति और बच्चे भी नहीं हैं तो इस स्थिति में उसके पति के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को उस महिला की जायदाद हासिल करने का अधिकार होगा।

❖ माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अस्थायी बीमारी जिसमें साइजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है शामिल है जिसका इलाज संभव है, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) के तहत तलाक का आधार नहीं बन सकता।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जाँच का विवरण

❖ सदस्या हेमलता खेरिया ने एक जाँच समिति की अध्यक्ष के रूप में मानसी प्रधान के साथ मिलकर एक समाचार पत्र कीखबर 'बहरी और मंद बुद्धि लड़की के साथ ओडिसा में बलात्कार' विषय पर जांच की। उन्होंने एक मीडिया के समाचार 'ओडिसा के नयागढ़ जिले में नाबालिग आदिवासी कन्या के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया' विषय पर भी जांच की। साथ ही साथ एक समाचार पत्र की खबर 'केन्द्रपारा बलात्कारी पीड़ित का भुवनेश्वर में देहांत हो गया' विषय पर भी जांच की। तीन लड़कों ने मिलकर लड़की को जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। समिति ने पुलिस, एनजीओ और पीड़िता के परिवार वालों से भी चर्चा की।

❖ एक तीन सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर थी ने महालक्ष्मी स्टेशन के पास शक्ति मिल्स में एक नजरबन्द फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जांच की। टीम चिकित्सक, पीड़िता और उसके संबंधियों से जसलोक अस्पताल में मिली। बाद में समिति, मुंबई के पुलिस आयुक्त से मिली और उनसे त्वरित जांच पूरी करने और कार्यवाही करने का आग्रह किया। वे लोग महालक्ष्मी के एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन भी गये और मामले में सहायक पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से भी मिले।

❖ सदस्या शमीना शफीक ने अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ मिलकर पहले लड़की का अपहरण फिर सामूहिक बलात्कार की घटना में जोधपुर, राजस्थान में जांच की।

❖ सदस्या शमीना शफीक ने अधिवक्ता विनय प्रीत सिंह के साथ मिल कर रोहतक, हरियाणा में वीभत्सता से मारे जाने के मामले में घटना की जांच की।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।